कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर

क्रमांक–न–5(28)पु.फो./कानि.भर्ती/2018/पार्ट/29 दिनांकः– 25 मई, 2018

कॉन्स्टेबल भर्ती वर्ष–2018 हेतु विज्ञप्ति

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 (यथा संशोधित) के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला/यूनिट/बटालियन में कॉन्स्टेबल सामान्य, कॉन्स्टेबल चालक, कॉन्स्टेबल बैण्ड, कॉन्स्टेबल घुड़सवार, कॉन्स्टेबल श्वान दल एवं कॉन्स्टेबल ऑपरेटर के 13142 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन–पत्र (online application form) आमंत्रित किए जाते हैं। यह आवेदन पत्र Online राजकॉम इन्फो सर्विसेज लि. (RISL) द्वारा संचालित समस्त ई–मित्र कियोस्क, जनसुविधा केन्द्र CSC (Common Service Centre) एवं विभाग की वेबसाईट पर दिनांक 25.05.2018 से भरे जा सकते हैं।

कॉन्स्टेबल सामान्य/ऑपरेटर/चालक/घुड़सवार एवं श्वानदल के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा ऑफ लाईन प्रक्रिया (ओएमआर आधारित) से माह जुलाई 2018 के मध्य में आयोजित किये जाने की सम्भावना है, जिसकी सूचना समाचार पत्रों/वेबसाईट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

भर्ती हेतु रिक्त पदों की गणना, योग्यता एवं पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के स्थाई आदेश संख्या–12/2018 दिनांक 18.05.2018 एवं 13/2018 दिनांक 22.05.2018 में वर्णित है। किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त स्थाई आदेशों में वर्णित प्रावधानों को ही अन्तिम माना जायेगा।

1. **आवेदन प्रक्रिया :–**

(क) भर्ती हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन 'online application form' लिये जाएंगे। इस हेतु आवेदक का SSO ID उपलब्ध होना चाहिए। अगर आवेदक का SSO ID नहीं है तो वह sso.rajasthan.gov.in पर SSO ID बना सकता है अथवा SSO ID ई–मित्र कियोस्क या जन–सुविधा केन्द्र पर भी निःशुल्क बनवाई जा सकती है। यह SSO ID आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र को उपलब्ध कराना/ होना आवश्यक होगा।

(1) **पुराने आवेदक**–इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक 3922 दिनांक 18.10.17 एवं संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 5680 दिनांक 28.12.2017 के आवेदक जिन्होने ऑनलाईन आवेदन किया है अपने पुराने आवेदन आईडी (old application ID) के साथ नया आवेदन पत्र भर सकेगें जिसके भरे जाने के उपरान्त नवीन आवेदन आई.डी.(new application ID) जारी की जायेगी। आवेदक की पुरानी आवेदन आई.डी. डेटाबेस द्वारा सत्यापित की जायेगी जिसके उपरान्त आवेदक अपना विवरण नवीन आवेदन पत्र में भर सकेगा। इसके लिए उसे परीक्षा शुल्क का दुबारा भुगतान नहीं करना होगा।

अगर कोई आवेदक किसी अन्य आवेदक की एप्लीकेशन आईडी का प्रयोग कर अवैद्य तरीके से आवेदन करता है तो डेटाबेस से मिलान करने के पश्चात अवैद्य रूप से भरा गया आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा। अतः आवेदक स्वयं की एप्लीकेशन आईडी का ही प्रयोग कर आवेदन करें तथा अवैद्य तरीका नहीं अपनायें।

परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए 0141–2221424/2221425 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

ऐसे आवेदक, जिन्होने कॉन्स्टेबल भर्ती 2017 में ऑफलाईन आवेदन किया था वह नवीन आवेदक के रूप में परीक्षा शुल्क सहित ऑनलाईन आवेदन भर सकते हैं। ऑफलाईन आवेदक अपनी पुरानी एप्लीकेशन आईडी से आवेदन नहीं कर सकेगें। पूर्व में ऑफलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न परीक्षा शुल्क के पोस्टल ऑर्डर उक्त विज्ञप्ति के आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक किसी भी कार्य दिवस में पुलिस मुख्यालय के कमरा नं.237 से प्राप्त किये जा सकते हैं। तत्पश्चात आवेदन पत्र में अंकित निवास के पते से सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

पुराने आवेदन पत्र/प्रवेश पत्र के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

(2) **नवीन आवेदक**–आवेदक विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या–3 में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर सकेगें।

(ख) किसी भी आवेदक द्वारा 'online application form' निम्नानुसार भरा जा सकता है :–

i. स्वयं के स्तर परः– अभ्यर्थी अपने स्तर पर अथवा अन्य एजेन्सी (साईबर कैफे आदि) के माध्यम से वेबसाईट www.recruitment2.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकता है। इस संबंध में अनुदेश व प्रपत्र भी उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस स्थिति में परीक्षा शुल्क नेट–बैंकिग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करवाना होगा।

ii. राज्य सरकार के अधीन संचालित ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर–

(a) नवीन आवेदक - आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु रुपये 26/–

(b) पुराने आवेदक - जिनका परीक्षा शुल्क जमा नहीं होगा रुपये 20/–

संबंधित ई–मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क के रूप में देगें, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जावेगी।

(ग) हाथ से भरे गये आवेदन–पत्र/हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किऐ जाएगें।

(घ) परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरान्त आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये ई–मेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा हो गया है।

(ड) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में फोटो अपलोड करने के लिए अपना स्पष्ट एवं हाल ही में खींची गयी नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (साईज 50 kb से 100 kb) तथा नमूना हस्ताक्षर (साईज 20kb- 50 kb) स्कैन हेतु, ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर साथ लायें।

नोटः–

(1) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 (यथा संशोधित), विस्तृत विज्ञापन ऑनलाईन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में दिशा–निर्देश (instruction) का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेंवे एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट प्राप्त कर आश्वस्त हो जाए कि सभी प्रविष्टियां सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं।

(2) आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई–मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र की सूची वेबसाइट www.emitra.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(3) Online application form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(4) आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

(5) आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हे आवेदन–पत्र कमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन–पत्र कमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नही हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न मानें।

2. आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक

ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 25.05.2018 से दिनांक 14.06.2018 को रात्रि 23:59 बजे तक (21 दिवस) भरे जा सकेगें। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना, समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें।

3. परीक्षा शुल्क–

(क) सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग के आवेदकों हेतु –रुपये 400/–

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आवेदक हेतु (केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी हेतु) –रुपये 350/–

(ग) सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग के ऐसे आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है (कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प–8(3)कार्मिक/क–2/18 दिनांक 02–05–2018के अनुसार) **यह छूट केवल नवीन आवेदकों के लिए लागू रहेगी।** –रुपये 350/–

नोट–1–बिन्दु संख्या–ग से सम्बन्धित आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को शारीरिक मापतौल (पीएसटी) के समय भर्ती बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आय प्रमाण पत्र सही नहीं पाने की स्थिति में पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

2–अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को शुल्क रुपये 400/– देय होगा।

3–परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए 0141–2221424/2221425 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

4. लिखित परीक्षा प्रवेश–पत्र

विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश–पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे और डाक से कोई भी प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जाएगा। वैबसाइट पर प्रवेश–पत्र जारी किए जाने की सूचना लिखित परीक्षा हेतु ई–प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की सूचना समाचार पत्रों/वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र वैबसाइट से प्राप्त (download) करने हेतु sso id से login के पश्चात रिक्रूटमेन्ट पोर्टल (recruitment portal) से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई–मेल आई.डी.

(E-mail ID) एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जावेगी। खेल कोटे के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड हेतु अलग से सूचित किया जायेगा।

परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में आवेदक की कोई प्राथमिकता नहीं होगी। एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा विभाग द्वारा कोई सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति भी स्वीकार नहीं की जायेगी।

5. भर्ती हेतु रिक्त पद

जिला/यूनिट/बटालियन में संधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की गणना की गई है, जो निम्नानुसार है। वर्गवार आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशानुसार किया गया है। आवश्यकता होने पर विभाग विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है, जिसके लिए पृथक से विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी।

क–(i)कॉन्स्टेबल सामान्य(सामान्य क्षेत्र)

क्र.स	जिला/यूनिट का नाम	सामान्य	ओबीसी	एमबीसी	एससी	एसटी	योग
1	आयुक्तालय, जयपुर	576	148	9	198	59	990
2	जिला जयपुर ग्रामीण	98	42	2	48	18	208
3	जिला दौसा	76	29	1	38	0	144
4	जिला सीकर	43	7	0	19	24	93
5	जिला झुन्झुनु	8	24	0	20	27	79
6	जिला अलवर	143	75	3	66	2	289
7	जिला भरतपुर	161	67	2	50	37	317
8	जिला सवाई माधोपुर	141	61	2	60	24	288
9	जिला करौली	108	41	2	30	15	196
10	जिला धौलपुर	76	31	1	23	17	148
11	जिला अजमेर	309	127	5	93	74	608
12	जिला नागौर	105	43	2	20	41	211
13	जिला भीलवाडा	239	92	4	57	54	446
14	जिला टोंक	115	36	1	24	3	179
15	जिला उदयपुर(एनटीएसपी)	306	66	5	85	75	537
16	जिला चित्तौडगढ	202	75	3	48	46	374
17	जिला राजसमन्द	101	41	2	27	38	209
18	आयुक्तालय जोधपुर	251	103	4	78	59	495
19	जिला जोधपुर ग्रामीण	52	47	0	25	22	146
20	जिला बाड़मेर	79	32	2	25	19	157
21	जिला जैसलमेर	117	18	1	8	30	174
22	जिला जालौर	81	32	1	24	17	155
23	जिला पाली	105	42	2	32	24	205
24	जिला सिरोही(एनटीएसपी)	50	18	1	4	13	86
25	जिला कोटा शहर	254	141	4	66	53	518
26	जिला कोटा ग्रामीण	118	48	2	35	26	229
27	जिला बून्दी	54	78	6	24	8	170
28	जिला बांरा	171	40	0	19	16	246
29	जिला झालावाड	92	67	9	23	21	212
30	जिला बीकानेर	227	96	4	73	55	455
31	जिला चुरू	64	26	1	19	14	124
32	जिला श्रीगंगानगर	151	61	2	45	34	293
33	जिला हनुमानगढ	90	37	2	29	20	178
34	जीआरपी अजमेर	131	34	2	57	0	224
35	जीआरपी जोधपुर	34	13	0	10	7	64
36	प्रथम बटालियन आरएसी. जोधपुर	21	8	0	6	4	39
37	द्वितीय बटालियन आरएसी कोटा	83	23	0	4	0	110
38	तृतीय बटालियन,आरएसी बीकानेर	42	25	0	0	18	85
39	चतुर्थ बटालियन, आरएसी जयपुर	1	30	1	13	5	50
40	पांचवी बटालियन, आरएसी जयपुर	29	13	0	0	0	42
41	छटी बटालियन, आरएसी धौलपुर	35	10	4	2	0	51
42	सातवीं बटालियन,आरएसी भरतपुर	0	25	5	21	0	51
43	आठवीं बटालियन, आरएसी दिल्ली	55	21	1	18	9	104
44	नवीं बटालियन, आरएसी टोंक	14	4	0	0	3	21

45	दसवीं बटालियन,आरएसी बीकानेर	18	10	1	12	8	49
46	11वीं बटालियन,आरएसी दिल्ली	72	21	0	14	13	120
47	12वीं बटालियन,आरएसी दिल्ली	50	2	0	12	20	84
48	13वीं बटालियन,आरएसी जयपुर	43	0	0	8	0	51
49	हाडीरानी महिला बटालियन आरएसी, नारेली अजमेर	6	11	5	20	14	56
50	महाराना प्रताप बटालियन आरएसी प्रतापगढ	363	152	7	116	86	724
	योग	5760	2293	111	1748	1172	11084

क—(ii)कॉन्स्टेबल चालक (सामान्य क्षेत्र)

क.स	जिला / यूनिट का नाम	सामान्य	ओबीसी	एमबीसी	एससी	एसटी	योग
1	आयुक्तालय, जयपुर	29	11	0	9	5	54
2	जिला सवाई माधोपुर	2	4	0	0	0	6
3	जिला करौली	8	1	0	1	0	10
4	जिला धौलपुर	4	0	0	0	0	4
5	जिला अजमेर	15	7	0	7	6	35
6	जिला नागौर	1	0	0	5	4	10
7	जिला भीलवाडा	7	0	0	6	2	15
8	जिला टोंक	4	1	0	4	0	9
9	जिला उदयपुर (एनटीएसपी)	6	11	0	4	0	21
10	जिला चित्तौडगढ़	11	2	0	2	1	16
11	जिला राजसमन्द	0	0	1	2	0	3
12	आयुक्तालय जोधपुर	1	0	0	3	1	5
13	जिला जोधपुर ग्रामीण	4	6	0	8	7	25
14	जिला बाड़मेर	7	6	0	4	8	25
15	जिला जैसलमेर	12	0	0	1	8	21
16	जिला जालौर	2	1	0	1	5	9
17	जिला पाली	8	1	0	8	4	21
18	जिला सिरोही (एनटीएसपी)	10	3	0	3	0	16
19	जिला कोटा शहर	5	8	0	6	0	19
20	जिला कोटा ग्रामीण	8	2	0	2	2	14
21	जिला बून्दी	0	4	1	3	1	9
22	जिला बांरा	13	2	1	0	1	17
23	जिला झालावाड़	12	5	0	5	4	26
24	जिला बीकानेर	8	2	0	2	1	13
25	जिला चुरू	1	0	0	0	0	1
26	जिला श्रीगंगानगर	17	6	0	4	3	30
27	जिला हनुमानगढ	3	0	0	0	0	3
28	जीआरपी अजमेर	9	4	0	1	0	14
29	जीआरपी जोधपुर	2	0	0	1	1	4
30	प्रथम बटालियन, आरएसी जोधपुर	.6	7	0	5	5	11
31	द्वितीय बटालियन, आरएसी कोटा	10	2	0	3	2	17
32	तृतीय बटालियन, आरएसी बीकानेर	0	1	0	0	1	2
33	चतुर्थ बटालियन, आरएसी जयपुर	1	4	0	0	3	8
34	पांचवी बटालियन, आरएसी जयपुर	6	0	0	5	0	11
35	छटी बटालियन, आरएसी धौलपुर	.1	7	0	3	2	11
36	आठवीं बटालियन, आरएसी दिल्ली	4	3	0	5	4	16
37	नवीं बटालिसन आरएसी टोंक	1	3	0	3	1	8
38	दसवीं बटालियन, आरएसी बीकानेर	0	5	0	4	0	9
39	11वीं बटालियन, आरएसी दिल्ली	7	3	0	4	4	18
40	12वीं बटालियन, आरएसी दिल्ली	7	3	0	2	2	14
41	13वीं बटालियन, आरएसी, जयपुर	18	6	0	5	2	31
42	14वीं बटा. आरएसी,भरतपुर हाल जयपुर	5	8	0	7	4	24
43	हाडीरानी महिला बटा.,नारेली अजमेर	6	2	0	0	3	11
44	महाराना प्रताप बटालियन, प्रतापगढ	24	9	0	7	5	45
45	राज्य आपदा प्रतिसाद दल, जयपुर	26	11	1	8	6	52
	योग	317	161	4	153	108	743

क–(iii)कॉन्स्टेबल बैण्ड (सामान्य क्षेत्र)

क.स	जिला / यूनिट का नाम	सामान्य	ओबीसी	एमबीसी	एससी	एसटी	योग
1	जिला दौसा	1	1	0	0	1	3
2	जिला अलवर	0	1	0	0	1	2
3	जिला भरतपुर	1	0	0	0	0	1
4	जिला करौली	2	0	0	0	0	2
5	जिला धौलपुर	6	2	0	1	1	10
6	जिला अजमेर	0	2	0	0	2	4
7	जिला उदयपुर	0	2	0	0	0	2
8	जिला राजसमन्द	2	0	0	0	0	2
9	आयुक्तालय जोधपुर	0	1	0	0	0	1
10	जिला बाड़मेर	3	0	0	0	0	3
11	जिला जैसलमेर	2	0	0	0	0	2
12	जिला जालौर	0	0	0	0	1	1
13	जिला पाली	1	1	0	0	0	2
14	जिला कोटा शहर	6	1	0	0	1	8
15	जिला कोटा ग्रामीण	1	1	0	0	0	2
16	जिला बांरा	2	0	0	0	0	2
17	प्रथम बटालियन आरएसी जोधपुर	3	2	0	0	1	6
18	द्वितीय बटालियन आरएसी कोटा	1	2	0	0	0	3
19	तृतीय बटालियन आरएसी बीकानेर	1	0	0	0	0	1
20	चतुर्थ बटालियन आरएसी जयपुर	3	3	0	0	1	7
21	सातवीं बटालियन, आरएसी भरतपुर	5	1	0	0	1	7
22	दसवीं बटालियन, आरएसी बीकानेर	0	2	0	0	0	2
23	13वीं बटालियन आरएसी जयपुर	11	4	0	3	2	20
24	14वीं बटा.आरएसी भरतपुर हाल जयपुर	10	4	0	3	2	19
25	हाडीरानी महिला बटालियन, नारेली अजमेर **(केवल महिलाओं के लिए)**	11	4	0	3	2	20
	योग	72	34	0	10	16	132

क–(iv)कॉन्स्टेबल घुड़सवार (सामान्य क्षेत्र)

क.स	जिला / यूनिट का नाम	सामान्य	ओबीसी	एमबीसी	एससी	एसटी	योग
1	आयुक्तालय जयपुर	6	1	0	1	1	9
2	जिला करौली	5	1	0	0	0	6
3	जिला अजमेर	3	1	0	0	1	3
4	जिला भीलवाडा	1	1	0	0	0	2
5	जिला उदयपुर	3	0	0	1	1	5
6	जिला राजसमन्द	2	0	0	0	0	2
7	आयुक्तालय जोधपुर	0	0	0	1	0	1
8	जिला कोटा शहर	1	1	0	0	0	2
9	जिला बीकानेर	0	1	0	0	0	1
10	जिला श्रीगंगानगर	2	0	0	1	0	3
	योग	23	6	0	4	1	34

क–(v)कॉन्स्टेबल ऑपरेटर (सामान्य क्षेत्र)

क.स	जिला / यूनिट का नाम	सामान्य	ओबीसी	एमबीसी	एससी	एसटी	योग
1	पुलिस दूरसंचार, जयपुर	86	38	2	30	20	176
2	महाराना प्रताप बटालियन,आरएसी प्रतापगढ	14	5	0	4	3	26
	योग	100	43	2	34	23	202

क–(vi)कॉन्स्टेबल श्वान दल (सामान्य क्षेत्र)

क.स	जिला / यूनिट का नाम	सामान्य	ओबीसी	एमबीसी	एससी	एसटी	योग
1	सीआईडी इन्टेलीजेंस, जयपुर	11	2	0	2	2	17
	योग	11	2	0	2	2	17

क–(vii)कॉन्स्टेबल सामान्य (टीएसपी क्षेत्र)

क.स	जिला / यूनिट का नाम	सामान्य	ओबीसी	एमबीसी	एससी	एसटी	योग
1	जिला उदयपुर	145	0	0	3	58	206
2	जिला बांसवाडा	133	0	0	14	25	172
3	जिला डूंगरपुर	136	0	0	10	20	166
4	जिला प्रतापगढ	102	0	0	15	19	136
5	जिला सिरोही	56	0	0	0	0	56
6	एमबीसी खैरवाडा	56	0	0	0	17	73
7	महाराना प्रताप बटा. आरएसी प्रतापगढ	32	0	0	3	28	63
	योग	660	0	0	45	167	872

क–(viii)कॉन्स्टेबल चालक (टीएसपी क्षेत्र)

क.स	जिला / यूनिट का नाम	सामान्य	ओबीसी	एमबीसी	एससी	एसटी	योग
1	जिला बांसवाडा	3	0	0	0	2	5
2	जिला डूंगरपुर	2	0	0	1	0	3
3	जिला प्रतापगढ	0	0	0	0	1	1
4	जिला सिरोही	4	0	0	0	1	5
5	एमबीसी खैरवाडा	0	0	0	1	3	4
	योग	9	0	0	2	7	18

क–(ix)कॉन्स्टेबल बैण्ड (टीएसपी क्षेत्र)

क.स	जिला / यूनिट का नाम	सामान्य	ओबीसी	एमबीसी	एससी	एसटी	योग
1	एमबीसी खैरवाडा	4	0	0	0	2	6
2	जिला बांसवाडा	4	0	0	0	0	4
3	जिला डूंगरपुर	2	0	0	0	0	2
	योग	10	0	0	0	2	12

क–(x)कॉन्स्टेबल सामान्य (सहरिया क्षेत्र)

क.स	जिला / यूनिट का नाम	सहरिया	योग
1	जिला बांरा	12	12
2	महाराना प्रताप बटालियन, आरएसी प्रतापगढ	3	3
	योग	15	15

क–(xi)कॉन्स्टेबल चालक (सहरिया)

क.स	जिला / यूनिट का नाम	सहरिया	योग
1	जिला बांरा	13	13
	योग	13	13

नोटः– राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–15(20)कार्मिक / क–2 / 01 / पार्ट दिनांक 12.09.2007 द्वारा ट्राईबल सब प्लान एरिया (जिला बांसवाडा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ) में अन्य पिछडा वर्ग / एमबीसी को आरक्षण देय नहीं है। ट्राईबल सबप्लान एरिया के पद कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–13(20) कार्मिक / क–2 / 91 / पार्ट दिनांक 04.07.16 में वर्णित प्रावधानानुसार भरे जायेंगें।

6. आरक्षण

(क)<u>महिलाओं के लिएः–</u>

विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे अभ्यर्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–7(2) डीओपी / ए–2 / 88 / पार्ट–1 दिनांक 24.01.2011 के अनुसार सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए उपरोक्त 30 प्रतिशत आरक्षण में से 8 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 2 प्रतिशत विच्छिन्न विवाह (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों की चयन प्रकिया राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प–7(2) डीओपी / क–2 / 96 / पार्ट दिनांक 13.01.2016 के अनुसार की जायेगी।

किसी वर्ग–विशेष में पात्र अथवा उपयुक्त विधवा और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उसी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। ऐसी रिक्तियां पाश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी।

<u>स्पष्टीकरण</u>–विधवा के मामले में अपने पति की मृत्यु का एवं विच्छिन्न विवाह के मामले में विवाह विच्छेद का, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

किसी वर्ग (सामान्य / अनु.जाति / अनु.जनजाति / ओबीसी / टीएसपी/एमबीसी / सहरिया) हेतु उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे पदों को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम एवं निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र (अनु.जाति / अनु.

जनजाति/ओबीसी/एमबीसी/सहरिया/टीएसपी) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पति के नाम के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र आरक्षण की दृष्टि से मान्य नहीं होगा।

(ख)भूतपूर्व सैनिकों के लिए:–

कुल रिक्त पदों के 12.5 प्रतिशत एवं गत भर्ती के बैकलॉग की रिक्ति,भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण क्षैतिज **(horizontal)** है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य/अनु.जाति/अनु. जनजाति/ओबीसी/एमबी ी/सहरिया)का होगा उसी वर्ग के पदों में समायोजित किया जावेगा।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5(18) डीओपी/ए–2/84 पार्ट–2 दिनांक 17.04.2018 के बिन्दु संख्या–6 नियम–6(बी) के अनुसार भूतपूर्व सैनिक सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर–भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाण पत्र(एन.ओ.सी.) के आधार पर अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु उसे शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान भर्ती बोर्ड को सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम,1988 के नियम 2(5) के अनुसार यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण कोई आरक्षित रिक्ति बिना भरे रह जाए तो ऐसी रिक्ति को उक्त पद पर अन्य स्रोत से नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार यह मानकर कि रिक्ति आरक्षित नहीं थी, भरी जायेगी।

परन्तु, इस प्रकार आरक्षित रिक्ति जिसे आरक्षित रखा गया हो, अगले भर्ती वर्ष तक अग्रनीत की जाऐगी, तदुपरान्त ऐसी रिक्तियां अनारक्षित मानी जाऐगी।

प्रतिरक्षा सेवाओं से सेवामुक्ति के समय सेवामुक्ति पुस्तिका में दर्शाया गया भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी का चरित्र (राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 7 में अंकितानुसार) 'अच्छा' होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उपयुक्त एवं पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर खाली रहे पद अनारक्षित मानते हुए सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जायेंगें।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प–5(18)कार्मिक/क–2/84/पार्टदिनांक 16.08.16 में वर्णितानुसार किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रास्थिति खो देगा और वह केवल लोकसेवक के रूप में ही माना जावेगा अर्थात भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुनर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा।

स्पष्टीकरण–भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत उसी अभ्यर्थी को पात्र माना जायेगा जो राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 3(क) के अन्तर्गत परिभाषित है।

(ग) टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सहरिया आदिम जाति के लिए:–

(i) राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–13(20)कार्मिक/क–2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के प्रावधानानुसार जिन क्षेत्रों को ट्राईबल सब प्लान एरिया के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, के पदों में अनुसूचित जन जाति हेतु 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति हेतु 5 प्रतिशत पद तथा शेष 50 प्रतिशत अनारक्षित पद केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इन क्षेत्रों में अन्य पिछडा वर्ग एवं एमबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 'शून्य' रहेगा।

(ii) ट्राईबल सब प्लान एरिया में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आने वाले क्षेत्रों में ट्राईबल सब प्लान एरिया के स्थानीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं स्थानीय अनारक्षित रिक्त स्थानों का विवरण भर्ती हेतु दर्शाये गये रिक्त पदों की तालिका क(vii), क(viii), क(ix) एवं सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए क(x) एवं क(xi) में अंकित है।

(iii) कार्मिक विभाग के निर्देश क्रमांक प–13(20) क–2/91/पार्ट दिनांक 21.05.13 के अनुसार जिला बांरा की सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में 25 प्रतिशत रिक्तियां जिले के स्थानीय सहरिया आदिम जाति से भरी जा.,गी शेष 75 प्रतिशत रिक्तियां सामान्य नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति से 6 प्रतिशत, अनुसूचित जाति से 8 प्रतिशत, अन्य पिछडी जाति से 10 प्रतिशत, एमबीसी वर्ग से 1 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग से 50 प्रतिशत पद भरे जाएंगे।

(घ) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–7(1)डीओपी/ए–2/2017 दिनांक 21.12.2017 के अनुसार एम.बी.सी. वर्ग के लिए 1% आरक्षण देय होगा।

(ड) उत्कृष्ट खिलाडियों के पदों के लिए:–

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–5(31)कार्मिक/क–2/84/15.03.13 एवं राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम–1989 के नियम–7 सी के प्रावधानानुसार **राजस्थान राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों में 2 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (horizontal) रूप से माना जाएगा** और इसका समायोजन उस सम्बन्धित जिला एवं प्रवर्ग में किया जाएगा जिससे खिलाडी सम्बद्व है। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जायेगा और ऐसी रिक्ति पाश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जाएगी।

इसके लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन करना होगा। महानिदेशक पुलिस द्वारा एक पृथक खेल भर्ती बोर्ड गठित किया जावेगा जो इन अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों का परीक्षण करेगा तथा उनकी खेल से सम्बन्धित दक्षता परीक्षा लेगा। यह भर्ती बोर्ड All India Police Sports Control Board (AIPSCB) के द्वारा मान्य

खेल यथा–बालीबाल, कबड्डी, शूटिंग स्पोर्टस, जिमनास्टिक, त्वाईक्वाण्डो, भारोतोलन,, जूडो, वुशु, कुश्ती, बॉक्सिंग, तीरंदाजी एवं एथलेटिक्स खेल से सम्बन्धित पुरूष/महिला अभ्यार्थियों और तैराकी, बॉस्केटबाल, हैण्डबाल केवल पुरूष अभ्यर्थियों का ही चयन करेगा। इस हेतु महानिदेशक पुलिस द्वारा गठित भर्ती बोर्ड योग्य अभ्यार्थियों के खेल सम्बन्धी दस्तावेजों का आंकलन कर अंक (अधिकतम अंक 70) प्रदान करेगा; तत्पश्चात 30 अंक की खेल दक्षता परीक्षा आयोजित की जायेगी।

बोर्ड, खेल/जिला/वर्गवार चयन सूची बनाकर, सम्बन्धित जिला/यूनिट को, महानिदेशक पुलिस के अवलोकन के पश्चात, अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा।

खेल कोटे में चयनित अभ्यर्थी का नाम जिला/यूनिट की चयनसूची में सामान्य कानि. से नीचे होगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को मुख्य खेल अधिकारी, राजस्थान पुलिस, प्रशिक्षण/अभ्यास/प्रतियोगिता हेतु किसी भी स्थान पर भेज सकेगें।

(च) राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी

राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। उत्कृष्ट खिलाडी कोटे में राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी पात्र नहीं माने जायेगें।

7. वेतनमान और पेंशन

नियुक्ति के उपरान्त दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 14600/–रूपये मासिक नियत पारिश्रमिक(**fixed remuneration**) देय होगा। तत्पश्चात् सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कॉन्स्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला एल–5 (**Pay matrix-Level-5**) वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

चयनित/नियुक्त होने वाले कॉन्स्टेबलों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01–01–2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

8. भर्ती हेतु पात्रता/योग्यता/छूट

(i) अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाजन/नागरिक होना चाहिए।

(ii) अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है।

(iii) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (कॉन्स्टेबल सामान्य/ऑपरेटर/बैण्ड/घुड़सवार/चालक एवं श्वान दल)

जिला/यूनिट/बटालियन	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
जिला पुलिस/इन्टेलीजेंस	मान्यता प्राप्त स्कूल/परीक्षा बोर्ड से सैकण्डरी या दसवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
आर.ए.सी./एमबीसी बटालियन	मान्यता प्राप्त स्कूल/बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण
पुलिस दूरसंचार ऑपरेटर	भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से हायर सैकण्डरी विज्ञान मय भौतिक शास्त्र एवं गणित विषय अथवा सरकार द्वारा इसके समकक्ष (10+2) घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण।

(iv) कॉन्स्टेबल ड्राईवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से एक वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस (LMV / HMV) होना आवश्यक है।

नोट– जो अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की निर्धारित परीक्षा में अध्ययनरत हैं वे भी इस भर्ती हेतु आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें शारीरिक मापतौल के समय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र/अंक तालिका प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र/अंक तालिका प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे शारीरिक मापतौल में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(v) आयु सीमा–

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस गृह (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक प–4(47)गृह–1/2018 दिनांक 22.05.2018 के द्वारा उच्च आयु सीमा में अभ्यर्थियों को चार वर्ष का शिथिलन प्रदान किया गया है जिसके क्रम में आयु की गणना 01 जनवरी, 2019 के आधार मानकर निम्नानुसार की जावेगी।

(vi) कॉन्स्टेबल सामान्य/ऑपरेटर/बैण्ड/घुड़सवार/श्वान दल के आवेदकों के लिए

वर्ग (category)	निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि)	निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरूष/महिला	पुरूष	महिला
सामान्य	01.01.2001	02.01.92	02.01.87
एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एम.बी.सी/सहरिया वर्ग	01.01.2001	02.01.87	02.01.82
कर्त्तव्य निर्वहन में मृत पुलिसकर्मी के आश्रित एवं राज्य कर्मचारी	01.01.2001	02.01.89	02.01.84
भूतपूर्व सैनिक	01.01.2001	02.01.73	02.01.73

(vii) कॉन्स्टेबल चालक के आवेदकों के लिए

वर्ग (category)	निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि)	निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरूष / महिला	पुरूष	महिला
सामान्य	01.01.2001	02.01.89	02.01.84
एस.सी. / एस.टी. / ओ.बी.सी. / एम.बी.सी / सहरिया वर्ग	01.01.2001	02.01.84	02.01.79
कर्त्तव्य निर्वहन में मृत पुलिसकर्मी के आश्रित एवं राज्य कर्मचारी	01.01.2001	02.01.86	02.01.81
भूतपूर्व सैनिक	01.01.2001	02.01.73	02.01.73

(viii) शारीरिक मापदण्ड–

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम–14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप एंव वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य हैः–

मापदण्ड	सामान्य क्षेत्र		बांरा जिले के सहरिया अदिवासियों के लिए मापदण्ड	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152से.मी.	160 से.मी.	145 से.मी.
सीना (केवल पुरूषों के लिए)	बिना फुलाऐ–81से.मी. फुलाने पर–86से.मी. (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.)	लागू नहीं	बिना फुलाऐ–74से.मी. फुलाने पर–79से.मी. (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.)	लागू नहीं
वजन (केवल महिलाओं के लिए)	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.	लागू नहीं	43 कि.ग्रा.

नोट–

1. यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदण्डों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5से.मी. की छूट देय होगी।
2. पहाडी एवं आदिवासी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए नियम–14(2) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के अन्तर्गत मापदण्ड होंगे।

(ix) चिकित्सकीय मापदण्ड

1. अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दृष्टि 6X6 बिना चश्मे के होना अनिवार्य है।
2. अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
3. अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने (knock-knee),नसें फूली हुई होना (varicose veins), भैंगापन (squint), रतौंधी (night blindness), रंग दृष्टि दोष (colour blindness) हकलाकर बोलना (stammering), पैर समतल (flat foot) या अन्य कोई विकृति जो कर्त्तव्य पालन में बाधक हो (any other deformity) नहीं होनी चाहिए।

9. नियुक्ति के लिए अयोग्यता

(i) किसी भी ऐसे पुरूष / महिला उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नि / पति हों नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

(ii) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01–06–2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 01–06–2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती। जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जाएगा। किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ–7(1)डीओपी / ए–2 / 95 / पार्ट–2 दिनांक 02.01.2017 में वर्णितानुसार कानूनी रूप से किये गये पुनर्विवाह उपरान्त जन्मी प्रथम सन्तान के कारण नियुक्ति के अयोग्य नहीं माना जायेगा।

(iii) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प–6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वान्छनीय होगा।

(iv) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया गया होगा।
स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजन हेतु 'दहेज' से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबन्ध एक्ट, 1961 में है। (सेन्ट्रल एक्ट 28 आफ 1961)

(v) आयोग/भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वन्चित (डिबार) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वन्चित(डिबार) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

(vi) आपराधिक प्रकरणों में लिप्त/आपराधिक प्रकरणों के तथ्य छुपाने के कारण नियुक्ति से सम्बन्धित प्रकरणों में महानिदेशक पुलिस राजस्थान के परिपत्र क्रमांक 1300 देनांक 28.03.17 में वर्णित निर्देशों के अनुसार पुलिस मुख्यालय की अनुमति के उपरान्त ही कार्यवाही की जावेगी।

10. **भर्ती हेतु चयन प्रकिया–**

कानि.का चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम,1989 के नियम 25 एवं राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियम 28(3) के प्रावधानानुसार किया जायेगा।
परीक्षा के सभी चरणों के कुल 100 अंक हैं जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी:–

परीक्षा का चरण	कान्स्टेबल सामान्य/ऑपरेटर	कान्स्टेबल ड्राईवर/घुड़सवार/बैण्ड/श्वानदल
लिखित परीक्षा (कान्स्टेबल बैण्ड पद के अतिरिक्त)	75	75
शारीरिक दक्षता परीक्षा	15	10
दक्षता परीक्षा	लागू नहीं	15
विशेष योग्यता (एन.सी.सी., होमगार्ड) प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किये जाने वाले अंक	10	लागू नहीं
अंकों का योग	100	100

11. **लिखित परीक्षा–**

लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 75 अंकों का जिसमें वस्तुनिष्ठ (objective type)प्रकार के 120 प्रश्न एवं समयावधि 2 घन्टे की होगी। यह परीक्षा ऑफ लाईन तथा ओ.एम.आर. आधारित (offline and OMR based)होगी। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, अंकों का विवरण एवं प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार होगी–

भाग – विषय	प्रश्न	अंक
अ –विवेचना एंव तार्किक योग्यता	30	30
ब –सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर	30	15
स –राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि	60	30
कुल	120	75

इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रश्न पत्र के प्रत्येक भाग में सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36 प्रतिशत, ट्राईबल सब–प्लान क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत एवं बारॉ जिले के सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए 25 प्रतिशत प्रत्येक भाग में अलग–अलग प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भूतपूर्व सैनिकों को प्रश्न पत्र के प्रत्येक भाग में अलग–अलग उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक 75 का 5 प्रतिशत शिथिलन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–5(18) डीओपी/ए–2/84/पार्ट–2 दिनांक 17.04.2018 के बिन्दु संख्या–9 में वर्णित नियम–18 ए(i) के अनुसार देय होगा।

गलत उत्तर देने पर प्रत्येक प्रश्न के अंक का 25 प्रतिशत अंक काटा जायेगा। लिखित परीक्षा के पश्चात प्रश्न–पत्र सम्बन्धी आपत्तियॉ आमन्त्रित करने हेतु पृथक से सूचित किया जावेगा।

लिखित परीक्षा में पदवार/वर्गवार/महिला/पुरूष रिक्तियों के पांचगुणा अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जायेगा जिसकी सूचना एवं परिणाम वेबसाईट www.police.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकेगी एवं सम्बन्धित जिला/यूनिट/बटालियन के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी। लिखित परीक्षा के सभी भागों के अंक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किए जाएंगे।

कान्स्टेबल बैण्ड पद के लिए एवं उत्कृष्ठ खिलाड़ियों की लिखित परीक्षा नहीं ली जाऐगी।

(i) शारीरिक मापतौल (Physical Standard Test/PST)–

सम्बन्धित जिला/यूनिट/बटालियन की पदवार/वर्गवार/महिला/पुरूष रिक्तियों के पांचगुणा अभ्यर्थियों (बैण्ड पद के समस्त अभ्यर्थी) को शारीरिक माप–तौल (PST) हेतु बुलाया जाएगा। नियमानुसार गठित भर्त्ती बोर्ड द्वारा शारीरिक माप–तौल में योग्य पाए गये अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जावेगी। भर्ती बोर्ड PST में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतौल से अवगत करायेगा। खेल कोटे के अभ्यर्थियों को महानिदेशक पुलिस द्वारा पृथक से गठित खेल भर्ती बोर्ड द्वारा शारीरिक मापतौल के लिए अलग से बुलाया जायेगा।

अपील–शारीरिक मापतौल में असफल रहे असन्तुष्ट अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रियानुसार नकद रूपये 500/–शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकता है। परीक्षार्थी यदि अपील पर शारीरिक मापतौल में सफल रहता है तो उससे लिया गया शुल्क वापस करते हुए उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जावेगा। असफल रहने की स्थिति में यह शुल्क वापस नहीं किया जावेगा। अपील की क्रियान्विति के लिए भर्ती बोर्ड के साथ एक राजकीय चिकित्सक रहेगा, अपील उसी दिन पूर्ण की जावेगी।

नोट– अपील के सम्बन्ध में भर्ती बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(ii) शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test/PET) :-

लिखित परीक्षा एवं शारीरिक मापतौल में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित केन्द्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। उसके उपरान्त ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। जो अभ्यार्थी खेल कोटे के अन्तर्गत आवेदन करते हैं उन्हे PET में शामिल नहीं किया जायेगा लेकिन उन्हे सम्बन्धित खेल की दक्षता परीक्षा देनी अनिवार्य होगी।

महिला अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती हैं उनको सलाह दी जाती है कि वह इसमें भाग नहीं लेवें। यदि भाग लेते हैं तो स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु पृथक से शारीरिक दक्षता परीक्षा का कोई प्रावधान नही है तथा इसके लिए अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदण्ड/अंक निम्नानुसार हैः–

1–कॉन्स्टेबल सामान्य/ऑपरेटर/चालक/बैण्ड/घुड़सवार/श्वानदल पद के आवेदकों के लिए :–

पद	दूरी	समय	अंक (कानि. सामान्य/ ऑपरेटर)	अंक (कानि. चालक/बैण्ड/ घुडसवार/श्वानदल)
पुरूषों के लिए	05 किमी.	20 मिनट एवं 20 मिनट से कम	15	10
		20 मिनट से अधिक एवं 22 मिनट तक	10	7
		22 मिनट से अधिक एवं 25 मिनट तक	5	5
महिलाओं के लिए	05 किमी.	26 मिनट एवं 26 मिनट से कम	15	10
		26 मिनट से अधिक एवं 28 मिनट तक	10	7
		28 मिनट से अधिक एवं 30मिनट तक	5	5
भूतपूर्व सैनिकों के लिए	05 किमी.	25 मिनट एवं 25 मिनट से कम	15	10
		25 मिनट से अधिक 26.30 मिनट तक	10	7
		26.30 मिनट से अधिक 28 मिनट तक	5	5
सहरिया एवं टीएसपी क्षेत्र के एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए	05 किमी.	26 मिनिट एवं 26 मिनिट से कम	15	10
		26 मिनट से अधिक एवं 28 मिनट तक	10	7
		28 मिनट से अधिक एवं 30 मिनट तक	5	5

नोट–

1– शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर देय नही होगा।

2– उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित समय अवधि में दौड पूर्ण नहीं करने अर्थात 5 अंक भी प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण मानते हुए भर्ती की अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किये जायेगें।

(iii) दक्षता परीक्षा (कॉन्स्टेबल ड्राईवर/बैण्ड/घुड़सवार/श्वान दल के आवेदकों के लिए)–

शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण कॉन्स्टेबल ड्राईवर/बैण्ड/घुड़सवार/श्वान दल पद के अभ्यर्थियों हेतु दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी जो 15 अंकों की होगी। दक्षता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रत्येक वर्ग के

अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा के अनुरूप ही होगें। दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक अन्तिम चयन हेतु सम्मिलित किये जायेगें।

कानि. ड्राईवर पद के अभ्यर्थी की वाहनों से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी, वाहनों के रख–रखाव एवं वाहन चलाने सम्बन्धी परीक्षा ली जाएगी।

कानि. बैण्ड पद के अभ्यार्थी की बैण्ड उपकरण से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी, रख–रखाव, धुनों, इत्यादि से सम्बन्धित परीक्षा ली जाएगी।

कान्स्टेबल घुड़सवार के अभ्यर्थी की घुड़सवारी में दक्षता, घोडों के रख–रखाव, खान–पान एवं उनके स्वास्थ्य आदि से सम्बन्धित परीक्षा ली जाएगी।

कान्स्टेबल श्वान दल के अभ्यर्थी की श्वानों की नश्ल, उनके रख–रखाव, खान–पान एवं उनके स्वास्थ्य आदि से सम्बन्धित परीक्षा ली जाएगी।

विस्तृत विवरण स्थाई आदेश संख्या–12/2018 13/2018 दिनांक 22.05.2018 में अंकित है।

(iv) विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक–

कॉन्स्टेबल सामान्य/ऑपरेटर पद के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त विशेष योग्यता हेतु प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्नानुसार अंक (कुल अंक 10) प्रदान किये जायेगें:–

एन.सी.सी.

क्र.सं.	प्रमाण पत्र की श्रेणी	अंक
1	सी– प्रमाण पत्र	5
2	बी– प्रमाण पत्र	3
3	ए– प्रमाण पत्र	2

होमगार्ड

क्र.सं.	सेवा अवधि	अंक
1	होमगार्ड में निरन्तर 5 वर्ष तक सेवा देने पर	5
2	होमगार्ड में निरन्तर 2 वर्ष तक सेवा देने पर	4
3	होमगार्ड में निरन्तर 1 वर्ष तक सेवा देने पर	2

(v) चयन सूची–

अभ्यर्थियों द्वारा समग्र प्रकार (लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, विशेष योग्यता या दक्षता परीक्षा) के प्राप्तांकों के आधार पर रिक्त पदों के अनुरूप वरीयताक्रम में चयन सूची राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ–7(1)डीओपी/ए–2/99 दिनांक 26.07.2017 में निहित प्रावधानानुसार तैयार की जावेगी।

(vi) स्वास्थ्य परीक्षण–

मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा।

अपील–उक्त चिकित्सीय परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपील करने पर द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा। पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। परन्तु स्वास्थ्य परीक्षण की अयोग्यता की स्थिति में प्रथम बोर्ड द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण की दिनांक से एक माह के भीतर दस्तावेजी सबूत के साथ अपील करने पर विभाग विचार कर सकता है।

(vii) प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन–

चयन सूची पर लिये गए अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग, चालक लाईसेंस, विशेष योग्यता एवं खेल प्रमाण पत्र इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जॉच कराई जाएगी तथा वेरीफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। प्रत्येक दस्तावेज पर दिनांक अंकित होना आवश्यक है। सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जावेगा।

12. प्रमाण पत्र–

अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PST/PET) के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्व–प्रमाणित (Self attested)एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे–

(i) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र।

(ii) आयु प्रमाण–पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)

(iii) अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/एमबीसी वर्ग से सम्बन्धित है तो प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण–पत्र।

(iv) आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र एवं नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(v) आवेदक यदि मृतक पुलिस कर्मी की सन्तान है तो उसकी सन्तान होने का प्रमाण–पत्र।

(vi) अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण–पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (रिश्तेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण–पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

(vii) भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र/पेंशनर होने का प्रमाण पत्र।

(viii) टीएसपी/सहरिया क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।

(ix) आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5X3.5सेमी.)रंगीन फोटो।

(x) विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विछिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना होगा।

(xi) कॉन्स्टेबल डाईवर हेतु स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस (LMV / HMV) की मूल प्रति।

(xii) एनसीसी, होमगार्ड के प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो।

(xiii) उत्कृष्ट खिलाडी कोटे में चयन हेतु अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र एवं सम्बन्धित खेल का प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।

13. महत्वपूर्ण निर्देश

(i) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 4 में उल्लेखित सैक्शन (i), (ii) (दो एमबीसी बटालियनों के मध्य), (iii) व (iv) में भर्ती कानि. को राजस्थान के किसी भी जिला/बटालियन/आई.आर. बटालियन में पदस्थापित किया जा सकेगा।

(ii) जिस जिला/बटालियन/यूनिट में जिस वर्ग/लिंग के पद रिक्त हैं उन्हीं के लिए आवेदन–पत्र स्वीकार्य होगें।

(iii) आवेदन–पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन–पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा अथवा चयन प्रकिया के उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता व नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगें। यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जाएगी।

(iv) निरस्त किए गये आवेदन–पत्रों की शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी।

(v) राज्य सेवा में सेवारत कर्मचारियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है।

(vi) चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(vii) परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश–पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।

(viii) अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी।

(ix) छद्मवेश में कार्य करने अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाने वाले, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें आगामी वर्षो में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वन्चित भी किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जाएगा।

(x) अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा, जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है, जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही भी का जा सकती है।

(xi) अन्तिम रूप से चयन उपरान्त अभ्यर्थियों से पृथक से निर्धारित किया गया आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें विज्ञप्ति के बिन्दू संख्या–12 में वर्णितानुसार सूचना अंकित करते हुए चाहे गये प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।

(xii) लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं (ओ.एम.आर.शीट) की जॉच व परिणाम जारी करने का कार्य कम्प्यूटर की मदद से किया जाएगा। परीक्षा के दौरान उत्तर–पत्रक में उत्तर पत्रक के पीछे की ओर छपे निर्देशों के अनुरूप सूचना भरना अनिवार्य है। उत्तर–पत्रक पर आवश्यक तथ्य अंकित न करने अथवा गलत तथ्य अंकित करने पर अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। मूल्यांकन कार्य कम्प्यूटर द्वारा होने के कारण पुनर्गणना अथवा उत्तर–पत्रक की प्रति उपलब्ध कराने की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। उत्तर पत्रक भरने के सम्बन्ध में निर्देश एवं नमूना, प्रवेश पत्र राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगें।

(xiii) भर्ती प्रकिया से सम्बन्धित स्थाई आदेश संख्या–12/2018, 13/2018 दिनांक 22.05.2018 एवं विज्ञप्ति विभाग की वैबसाईट www.recruitment2.rajasthan.gov.in / www.police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। भर्ती के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी सूचना भी वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(xiv) आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शंका/समस्या के समाधान हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक हैल्प लाईन नम्बर **0294–3057541** and email id-recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

भर्ती प्रकिया के सम्बन्ध में राज्य सरकार व पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी नियम, परिपत्रों का विज्ञप्ति में समावेश किया गया है फिर भी भर्ती हेतु प्रचलित किसी नियम/परिपत्र का सभावेश होने से रह जाने की स्थिति में ऐसे नियम/परिपत्र उक्त भर्ती में प्रभावी माने जायेगें।

प्रशाखा

(डा.प्रशाखा माथुर)
महानिरीक्षक पुलिस (भर्ती)
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. महानिदेशक, गृहरक्षा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/कारागार, राज. जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
6. उपायुक्त पुलिस, मुख्यालय जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जी.आर.पी., अजमेर/जोधपुर/आसूचना, जयपुर एवं प्रशासन एवं अन्वेषण सीआईडी सीबी, पुलिस दूरसंचार राजस्थान जयपुर।
8. समस्त कमाण्डेन्ट, आर.ए.सी. बटालियन मय आई.आर./एम.बी.सी. खैरवाडा/हाडीरानी महिला बटालियन नारेली, अजमेर।
9. समस्त कमाण्डेन्ट, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान/पुलिस मोटर ड्राईविंग स्कूल,बीकानेर।
10. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक(प्रचार), सी.आई.डी.(सी.बी.),राजस्थान, जयपुर
12. निदेशक, समाज कल्याण/नियोजन/सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
14. प्रभारी, राजस्थान पुलिस वेबसाइट सैल को प्रेषित कर निर्देश है कि इसे तत्काल राजस्थान पुलिस वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।

प्रशाखा

महानिरीक्षक पुलिस (भर्ती)
राजस्थान, जयपुर।